

दिनांक को सर इजलास सुनाया गया है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दफतर है।

होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाना दाखिल जाकर पत्रवाली खातिर की जाती है। पत्रवाली फंसल शिमा है। अतः प्रोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की अभिम कायवाही की जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। मसूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही में मसूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपक्ष न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटिपिशन में अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेस्योन्डेन्स के हक में किया गया किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकार सरकार ने उक्त भू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटि रेस्योन्डेन्स का भू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रवाली पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रवाली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का हमने प्रोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्स्तानेजात पेश किये।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की का निस्तारण कर दिया जावे। अपन कथन के समर्थन में सम्बन्धित भू-आवंटन आदेश मसूख हो गया है। अतः प्रकरण निर्णय के परिपक्ष में इस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित पिपिशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छोट्टे एवं अन्य बनाम उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय (नायब लडसीलदार कोटपुर्वली) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत होल्डर लडसीलदार कोटपुर्वली की ओर से प्रोकार सरकार पत्रवाली पेश कियी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड

23.11.16

दिनांक आशा या कायवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----------------------	--------------------	-------------

322/2016

बनाम

कोटपुर्वली